



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2013/ज्येष्ठ 31, 1935

No. 174]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2013/JYAISTHA 31, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2013

फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/रेगुलेशन/रिव्यू-2011/2012-III.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में।

(क) विनियम 5 में—

(i) उप विनियम -(6) में,—

(क) खण्ड (ड.) में "भारत की जनगणना 2001 के अनुसार" शब्दों के स्थान पर "भारत की नवीनतम जनगणना के अनुसार" प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) खण्ड (ज) में दो स्थानों पर, "बैंक गारंटी के रूप में" शब्दों के बाद "नई दिल्ली में देय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या किसी अनुसूचित बैंक से पेआर्डर-" शब्दों को जोड़ा जाए;

(ii) उप-विनियम 7 के खण्ड (क) में निम्नलिखित को हटाया जाए, नामतः :—

"(क) कंपनी के सामान्य विवरणों को शामिल करने वाला भाग-1 [तकनीकी बोली] तथा परियोजना का तकनीकी ब्यौरा जिसमें उप-विनियम (6) के अंतर्गत न्यूनतम पात्रता मानदंड शामिल है";

(ख) विनियम 7 में,—

1 (i) उप-विनियम (1) में—

(क) खण्ड (क) में "कंपनी को परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ प्रभार हेतु निविदा आमंत्रित करनी होती है। इसे चालीस प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा" तथा इसमें निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"कंपनी को परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ प्रभार हेतु निविदा आमंत्रित करनी होती है तथा किन्हीं दो लगातार वर्षों में यूनिट नेटवर्क टैरिफ अंतर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे सत्तर प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा।"

(ख) खण्ड (ख) में "कंपनी को परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए दबाव प्रभार हेतु निविदा आमंत्रित करनी होती है। इसे दस प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा", के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"कंपनी को परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए दबाव प्रभार हेतु निविदा आमंत्रित करनी होती है तथा किन्हीं दो लगातार वर्षों में सीएनजी के लिए दबाव प्रभारों में अंतर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे तीस प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा।"

(ग) खण्ड (ग) और (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"(ग) पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लिए न्यूनतम कार्य, कार्यक्रम तथा स्टील पाइपलाइनों का इंच किलोमीटर-सफल बोलीदाता द्वारा बिछाया जाएगा।

पीएनजी घरेलू कनेक्श—बोर्ड अनुसूची घ में निम्नानुसार प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से पहले पांच वर्ष के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम पीएनजी घरेलू कनेक्शनों की संख्या का अनुमान लगाएगा:

(i) विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या की गणना उस भौगोलिक क्षेत्र के संबंधित जिले की मूल डॉटा शीट के अनुसार परिवार के सदस्यों तथा भारत की नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित होगी;

(ii) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के उप खंड (i) के अंतर्गत की गई गणना के अनुसार परिवारों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पर पीएनजी कनेक्शन रखने वाले तकनीकी रूप से सम्भाव्य परिवारों के रूप में विचार किया जाएगा;

(iii) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के अंतर्गत की गई गणना के अनुसार तकनीकी रूप से सम्भाव्य परिवारों के तीस प्रतिशत को बोर्ड द्वारा पीएनजी घरेलू कनेक्शनों के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जाएगा जिसे अनुसूची घ में उल्लिखित अनुसार प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से पहले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किया जाएगा;

(iv) सफल बोलीदाता द्वारा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः पंद्रह प्रतिशत, पचास प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत और सौ प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा; और

(v) बोर्ड पांच वर्षों की अवधि के अंदर लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में अग्रणीत करने पर विचार कर सकता है। स्टील पाइपलाइन प्रतिवर्ग किलोमीटर का इंच किलोमीटर - बोर्ड स्टील पाइपलाइन के इंच किलोमीटर का अनुमान लगाएगा जिसे अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से पहले पांच वर्षों के दौरान सफल बोलीदाता द्वारा निम्नानुसार प्राप्त किया जाएगा:—

- (i) बोर्ड इंच कि.मी. निर्धारण करेगा जिसे निम्नलिखित उत्पाद के अनुसार अनुसूची घ में प्राधिकार प्रदान करने की तारीख से प्रथम पांच वर्षों की विशिष्ट अवधि के दौरान में सफल बोलीदाता द्वारा प्राप्त किया जाएगा -
- क. सीजीडी बोली के प्रथम दौर में सफल बोलीदाताओं द्वारा उद्घृत औसत इंच कि.मी.प्रति वर्ग कि.मी. क्षेत्र के आधार पर इंच कि.मी प्रति वर्ग कि.मी. 2.696 बैठता है तथा
- ख. सम्बंधित भौगोलिक क्षेत्र का वर्ग किमी क्षेत्र में.
- (ii) सफल बोलीदाता, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य का क्रमशः बीस प्रतिशत, पचास प्रतिशत, अस्सी प्रतिशत, नब्बे प्रतिशत और एक सौ प्रतिशत प्राप्त करेगा जिसमें सभी प्रभार क्षेत्र शामिल होंगे;
- (iii) पांच वर्ष की अवधि में इस लक्ष्य को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में अग्रेनीत करने पर बोर्ड विचार कर सकता है";
- (ii) उप-विनियम (2) और (3) में "(क) से (घ)" शब्दों के लिए "(क) से (ख)" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप-नियम (3) में "निविदा में सफल" शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए, नामतः:—
"बोली कंपनियों के बीच उच्चतम मिश्रित अंकों के एक-समान होने की स्थिति में ऐसी कंपनियों को अतिरिक्त निविदा बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जिसकी राशि पर निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा लिया जाएगा तथा जो कंपनी उच्च राशि के लिए निविदा बांड प्रस्तुत करेगी, उसको सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।"
- (iv) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः:—
"बोली मूल्यांकन उद्देश्य के लिए प्रति एमएमबीटीयू निविदा रूप में भारित औसत यूनिट नेटवर्क टैरिफ का वर्तमान मूल्य तथा चौदह प्रतिशत की छूट दर का प्रयोग करके परियोजना को आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति कि.ग्रा. निविदा रूप में भारित औसत यूनिट दबाव प्रभार के वर्तमान मूल्य पर विचार किया जाएगा";
- (ग) विनियम 9 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाए—
"(1) चयनित कंपनी को निविदा बांड की राशि के चार गुणा के बराबर राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर या बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बांड प्रस्तुत करने पर प्राधिकार जारी किया जाएगा, जोकि प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और तत्पश्चात् उसे बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किया जाएगा";
- (घ) विनियम 10, में उप विनियम (3) में "इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्षों" शब्दों के स्थान पर "इसके जारी होने की तारीख से पांच वर्षों या न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो", राज्यों को प्रतिस्थापित किया जाए;
- (ङ) विनियम 14 , उप विनियम (7) में, खण्ड (क) में "सीजीडी नेटवर्क" शब्दों के बाद "विशिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद" शब्दों को जोड़ा जाए;
- (च) अनुसूची 'ग' में भाग-II के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः: —

भाग II: न्यूनतम पात्रता

मानदंड की अर्हकता को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए खोली जाने वाली वित्तीय निविदाएं (पृथक निर्धारित मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएंगी लिफाफे में प्रस्तुत की जाएं)।

क	लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी परियोजना की आर्थिक आयु की तुलना में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए भारित औसत नेटवर्क टैरिफ निविदा का वर्तमान मूल्य (पीवी) (जो प्राधिकार की तारीख से पच्चीस वर्ष है)। टिप्पणी: किसी दो लगातार वर्षों के बीच यूनिट नेटवर्क टैरिफ में अंतर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।	14% की छूट दर का इस्तेमाल करके परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए भारित औसत यूनिट नेटवर्क टैरिफ निविदा का पीवी रु.<____> प्रति एमएमबीटीयू है। वर्ष-वार भारित औसत यूनिट नेटवर्क टैरिफ निविदा - वर्ष 1: रु.<____> प्रति एमएमबीटीयू वर्ष 2: रु.<____> प्रति एमएमबीटीयू वर्ष 25: रु.<____> प्रति एमएमबीटीयू
ख	परियोजना की आर्थिक आयु की तुलना में सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी स्टेशनों में छूट देने हेतु सीएनजी की तुलना में दबाव प्राकृतिक गैस के लिए दबाव प्रभार निविदा का वर्तमान मूल्य (पीवी) (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष है)। टिप्पणी: किसी दो लगातार वर्षों के बीच दबाव में अंतर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।	14% की छूट दर का इस्तेमाल करके परियोजना की आर्थिक आयु के प्रत्येक वर्ष के लिए सीएनजी निविदा के लिए दबाव प्रभार का पीवी रु.<____> प्रति एमएमबीटीयू है। सीएनजी निविदा के लिए वर्ष-वार दबाव प्रभार - वर्ष 1: रु.<____> प्रति कि.ग्रा. वर्ष 2: रु.<____> प्रति कि.ग्रा. वर्ष 25: रु.<____> प्रति कि.ग्रा.

(छ) अनुसूची ग (1) में, पैराग्राफ (ग) और (घ) का लोप हो जाएगा।

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/188/13]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को दिनांक 19 मार्च, 2008 के सा.का.नि. 196(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें दिनांक 19 नवंबर, 2008 के सा.का.नि. 800(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 7 जून, 2010 के सा.का.नि. 478(अ) तथा दिनांक 19 जुलाई, 2010 के सा.का.नि. 605(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2013

F.No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,—

(a) in regulation 5,—

(i) in sub-regulation (6),—

(A) in clause (e), for the words “as per census of India, 2001”, the words “as per latest census of India” shall be substituted;

(B) in clause (h), at two places, after the words “in the form of Bank Guarantee”, the words “or demand draft or pay order from any scheduled bank drawn in favour of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board payable at New Delhi” shall be inserted;

(ii) in sub-regulation (7), for clause (a), the following shall be substituted, namely :—

“(a) Part I [Technical bid] covering general particulars of the entity and technical details of the project including minimum eligibility criteria under sub-regulation (6);”;

(b) in regulation 7,—

(i) in sub-regulation (1),—

(A) in clause (a), for the words “The entity is required to bid for the tariff charge for each year of the economic life of the project. This shall have a weightage of forty per cent.”, the following shall be substituted, namely:—

“The entity is required to bid for the tariff charge for each year of the economic life of the project and the variation in unit network tariff between any two consecutive years should not be more than ten per cent. This shall have a weightage of seventy per cent.”;

(B) in clause (b), for the words “The entity is required to bid for the compression charge for CNG for each year of the economic life of the project. This shall have a weightage of ten per cent.”, the following shall be substituted, namely:—

“The entity is required to bid for the compression charge for each year of the economic life of the project and the variation in compression charge for CNG between any two consecutive years should not be more than ten per cent. This shall have a weightage of thirty per cent.”;

(C) for clauses (c) and (d), the following shall be substituted, namely:—

“(c) Minimum Work Programme for PNG domestic connections and inch-kilometer of steel pipelines to be laid by the successful bidder

PNG domestic connections— The Board shall work out the minimum number of PNG domestic connections to be achieved by the successful bidder during the first five years from the date of grant of authorisation in Schedule D as under :

(i) The total number of households in the specific geographical area shall be computed based on the number of members in a household as per the basic data sheet of the respective district of that geographical area and population as per the latest census of India;

(ii) Fifty per cent of the total number of households as computed under sub-clause (i) of clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 shall be considered as technically feasible households for having PNG connections.

(iii) Thirty per cent of the technically feasible households as computed under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 7 shall be fixed by the Board as the target of PNG domestic connections to be achieved during the first five years from the date of grant of authorisation as mentioned in Schedule D;

(iv) The successful bidder shall achieve fifteen per cent, fifty per cent, seventy per cent and one hundred per cent of this target by the end of second year, third year, fourth year and fifth year

2776 G.I/13-2

respectively; and

- (v) The Board may consider carry forward of the target from one year to another within the period of five years.

Inch-kilometer of steel pipeline per square kilometer – The Board shall work out the inch-kilometer of steel pipeline to be achieved by the successful bidder during the first five years from the date of grant of authorisation as mentioned in Schedule D as under :

- (i) The Board shall determine the Inch-KM to be achieved by the successful bidder during the exclusivity period of five years from the date of grant of authorisation in Schedule D as a product of

- a. the Inch-KM per Square KM based on average Inch-KM per Square KM quoted by the successful bidders in the first round of CGD bidding, which works out to 2.696 and
- b. the area in Square KM of the respective geographical area;

- (ii) The successful bidder shall achieve twenty per cent, fifty per cent, eighty per cent, ninety per cent and one hundred per cent of this target by the end of first, second year, third year, fourth year and fifth year respectively covering all the charge areas;

- (iii) The Board may consider carry forward of the target from one year to another within the period of five years.”;

- (ii) in sub-regulation (2) and (3), for the words “(a) to (d)”, the words “(a) to (b)” at two places shall be substituted;

- (iii) in sub-regulation (3), after the words “successful in the bid.”, the following shall be inserted, namely:—

“In case of a tie in the highest composite score between the bidding entities, such entities shall be asked to submit additional bid bond for an amount to be decided by the respective entity and the entity that submits bid bond for higher amount shall be declared as successful bidder.”;

- (iv) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:—

“For bid evaluation purpose, the present value of the weighted average unit network tariff in rupees per MMBTU bid and the present value of the weighted average unit compression charge in rupees per kilogram bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of fourteen per cent shall be considered.”;

- (c) in regulation 9, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) Grant of authorization shall be issued to the selected entity after it furnishes the performance bond in the form of demand draft or pay order or bank guarantee from any scheduled bank for the amount equal to four times the amount of bid bond and the bank guarantee shall be valid initially for the period of five years and thereafter for the period of grant of authorization by the Board.”;

- (d) in regulation 10, in sub-regulation (3), for the words “three years from the date of its issue”, the words “five years from the date of its issue or till the achievement of Minimum Work Programme, whichever is earlier” shall be substituted;

- (e) in regulation 14, in sub-regulation (7), in clause (a), after the words “CGD network”, the words “after the expiry of exclusivity period” shall be added;

- (f) In Schedule C, for Part-II, the following shall be substituted, namely:—

Part-II: Financial bid (to be submitted in a separate earmarked sealed envelope) to be opened for those entities qualifying the minimum eligibility criteria

A	Present Value (PV) of the Weighted Average Network Tariff Bid for laying, building, operating or expanding the CGD network over the economic life of the project (which is twenty five years from the date of authorization). <u>Note:</u> The variation in unit network tariff between any two consecutive years should not be more than 10%.	PV of the weighted average unit network tariff bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs.< _____ > per MMBTU Year-wise weighted average unit network tariff bid- Year 1: Rs.< _____ > per MMBTU Year 2: Rs.< _____ > per MMBTU : : Year 25: Rs.< _____ > per MMBTU
B	Present Value (PV) of the compression charge bid for compressing natural gas into CNG for dispensing in the CNG stations of the CGD network over the economic life of the project (which is 25 years from the date of authorization). <u>Note:</u> The variation in compression charge between any two consecutive years should not be more than 10%.	PV of the compression charge for CNG bid for each year of the economic life of the project using the discount rate of 14% is Rs < > per Kg. Year-wise compressed charge for CNG bid - Year 1: Rs.< _____ > per Kg. Year 2: Rs.< _____ > per Kg. : : Year 25: Rs.< _____ > per Kg.

(g) In Schedule C (1), paragraphs (C) and (D) shall be omitted.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT III/4/Exty./188/13]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R.196(E), dated 19th March, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R.800(E), dated 19th November, 2008, G.S.R. 295(E), dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E), dated 7th June, 2010 and G.S.R. 605(E), dated 19th July, 2010.